255

संख्याः-374-B/XXVII(1)/2013

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांकः 20 मई, 2013

विषयः-तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त का तदर्थ आधार पर अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 27 नगर पंचायतों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय धनराशि में से कॉलम-5 में इंगित धनराशि की कटौती पेंशन निधि हेतु करते हुये कॉलम-6 में निकाय के सम्मुख इंगित कुल धनराशि ₹95077000.00 (₹ नौ करोड़ पचास लाख सतहत्तर हजार मात्र) अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः-

(1) अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अंतरित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय धनराशि के अनुसार ही तदर्थ रूप से वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त हेतु धनराशि अंतरित की जा रही है। वर्ष 2013-14 की बढ़ी हुई धनराशि आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तर-8.20 की अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर ही देय होगी।

(6) शहरी स्थानीय निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब उनके द्वारा उपरोक्त बिन्दु 5 पर अनुपालन आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।

(7) यदि निर्धारित तिथी तक उपरोक्त वांछित/ उपयोगी सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं और इन सूचनाओं के अभाव में निकायों को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में विलम्ब होता है, तो इसके लिये सम्बन्धित निकाय तथा शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।

(8) सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—193—नगर पंचायतें/ नोटिफाइड एरिया/ कमेटी आदि—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः— यथोपरि।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः—374-B(1)/XXVII(1)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिलाधिकारी.....।
5— निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
6— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8— निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9— सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी .....।
10— एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 374/XXVII(1)/ 2013

दिनांकः 20 मई, 2013

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पंचायतों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम त्रैमासिक किश्त का अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0सं0	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	तदर्थ आधार पर प्रथम किश्त हेतु देय अंतरण	पेंशन निधि हेतु कटौती का अंश (1%)	प्रथम त्रैमास हेतु तदर्थ आधार पर अवमुक्त अंतरण
1	2	3	4	5	6
नगर पंचायत					
1-	उत्तरकाशी	बड़कोट	4144	41	4103
	योग		4144	41	4103
2-	चमोली	नन्दप्रयाग	3353	34	3319
3-		कर्णप्रयाग	6990	70	6920
4-		गोचर	5683	57	5626
	योग		16026	161	15865
5-	टिहरी	मुनिकीरेती	6694	67	6627
6-		कीर्तिनगर	1661	17	1644
7-		चम्बा	2361	24	2337
8-		देवप्रयाग	3499	35	3464
	योग		14215	143	14072
9-	देहरादून	डोईवाला	2656	27	2629
10-		हरबर्टपुर	4754	48	4706
	योग		7410	75	7335
11-	नैनीताल	कालाढूंगी	3753	38	3715
12-		भीमताल	2314	23	2291
13-		लालकुँआ	3056	31	3025
	योग		9123	92	9031
14-	उधमसिंह नगर	दिनेशपुर	3141	31	3110
15-		सुल्तानपुर	3082	31	3051
16-		केलाखेड़ा	2420	24	2396
17-		शक्तिगढ़	1525	15	1510
18-		मुहुआ खेड़ा गंज	3476	35	3441
19-		महुआडाबरा	2122	21	2101
	योग		15766	157	15609
20-	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	2054	21	2033
	योग		2054	21	2033
21-	पिथौरागढ़	डीडीहाट	1812	18	1794
22-		धारचूला	5692	57	5635
	योग		7504	75	7429
23-	चम्पावत	चम्पावत	3887	39	3848
24-		लोहाघाट	2650	27	2623
	योग		6537	66	6471
25-	हरिद्वार	झबरेड़ा	3007	30	2977
26-		लण्डोरा	4642	46	4596
27-		लक्सर	5612	56	5556
	योग		13261	132	13129
महायोग			96040	963	95077

(रैनी करोड़ पचास लाख सतहत्तर हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।